

प्रेषक,

एस0एन0 प्रसाद,  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,  
मनोरंजन कर,  
उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक: 05 सितम्बर, 2014

विषय: हिन्दी फिल्म "मैरी कॉम" को प्रदेश में मनोरंजन कर से मुक्ति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1880/प्र0क0-3/बी-08(2)/2014-15 दिनांक 02.09.2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। हिन्दी फिल्म "मैरी कॉम" को मनोरंजन कर से मुक्त करने के संबंध में फिल्म के सहनिर्माता विआकॉम 18 मीडिया प्रा0 लि0 के अनुरोध एवं आपकी आख्या के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त फिल्म "मैरी कॉम" को मनोरंजन कर से मुक्त करने का निर्णय शासनादेश संख्या-86/11-क0नि0-6-14-बीस0आर0(10)/96 दिनांक 17.01.2014 (छायाप्रति संलग्न) में उल्लिखित शर्त एवं निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन लिया गया है :-

(1) सिनेमा स्वामी द्वारा विभिन्न श्रेणी में प्रचलित सामान्य प्रवेश शुल्क की दरों में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी और न ही उनमें आसन क्षमता में परिवर्तन किया जायेगा।

(2) इस फिल्म के साथ कोई अन्य फिल्म नहीं दिखाई जायेगी, सिवाय एपुव्ड (approved) फिल्म के, जैसा कि यू0पी0 सिनेमाटोग्राफ रूल्स, 1951 के परिशिष्ट-1 के सिनेमा लाइसेंस प्रतिबन्ध संख्या-(2) में उल्लिखित है, लेकिन नई आने वाली फिल्मों के ट्रेलर तथा विज्ञापन दिखाये जाने की अनुमति होगी।

(3) ऐसे सिनेमा, जिसमें फिल्म का कर से मुक्त प्रदर्शन किया जाय, का स्वामी उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर नियमावली, 1981 में निर्धारित प्रपत्र-"ख" लेखा विहित रूप से प्रत्येक प्रदर्शन के लिये निर्धारित समय में नियमित रूप से तैयार करेगा और इस संबंध में उपर्युक्त नियमावली के समस्त संबंधित नियम उसी प्रकार से लागू होंगे, जिस प्रकार सामान्य फिल्मों के प्रदर्शनों में लागू होते हैं। इसके अतिरिक्त कर मुक्त फिल्म के लिये जारी किये जाने वाले टिकट पर यथास्थिति शब्द "पूर्ण कर मुक्त" मुद्रित होंगे अथवा रबर की मुहर से अंकित किये जायेंगे तथा टिकटों के संबंध में उपर्युक्त नियमावली के समस्त संबंधित नियम लागू होंगे। उपरोक्त से संबंधित सिनेमा स्वामी को अनुपालनार्थ अवगत करा दें।


...2

- (4) यह भी अवगत कराना है कि उपरोक्त शर्तों तथा शासनादेश संख्या-1053/11-क0नि0-6-2000-बीस0आर0(10)/96 दिनांक 13.06.2000 में उल्लिखित शर्तों अथवा उनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन पाये जाने पर कर मुक्ति की सुविधा समाप्त कर दी जायेगी और उल्लंघन के लिए संबंधित सिनेमा गृहों से कर मुक्त प्रदर्शनों पर नियमानुसार मनोरंजन कर लगाया तथा वसूल किया जायेगा।
- (5) निर्माता द्वारा फिल्म प्रदर्शन की सम्पूर्ण सूचना मनोरंजन कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश को अग्रिम प्रेषित करना होगा।
- (6) उक्त फिल्म के प्रदर्शन को कर से छूट दिये जाने के फलस्वरूप हुई राजस्व की हानि की सूचना जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आयुक्त, मनोरंजन कर को यथासमय उपलब्ध करायी जायेगी।

2. इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के उन विधान सभा/लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, जहां पर उप चुनाव होने के कारण आदर्श आचार संहिता लागू है, उन निर्वाचन क्षेत्र में मा0 चुनाव आयोग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रश्नगत फिल्म को मनोरंजन कर से मुक्त किये जाने की कार्यवाही की जाय।

संलग्नक: यशोवत

भवदीय,

  
(एस0एन0 प्रसाद)  
सचिव।

संख्या- - 752 (1)/11-क0नि0-6-2014-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 2- विआकॉम 18 मीडिया प्रा0 लि0, जिऑन बिज वर्ल्ड, सुभाष रोड, "ए" विले पार्ले (ई) मुंबई।

आज्ञा से,

  
(मदन मोहन)  
अनु सचिव।

कार्यालय मनोरंजन कर आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश

पत्रांक-2572/वैय0सहा0

लखनऊ

दिनांक: 05 सितम्बर, 2014

प्रतिलिपि-समस्त संयुक्त आयुक्त/उप्रायुक्त/सहायक आयुक्त/जिला मनोरंजन कर अधिकारी/प्रभारी मनोरंजन कर निरीक्षक उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
(एस0पी0 पाण्डेय)

संयुक्त आयुक्त,